



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 011/2016/प्र.स.शि.सु.आ./110/333

तिथि: 11.07.2016

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में अर्हता रखने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता के कारण स्थान रिक्त रहने की स्थिति में उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से भरा जाए।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं प्रभारियों से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)।
6. परीक्षा विभाग।
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल